पत्रांक–1 / नि०वि०स्था०–08 / 2023.....2823

बिहार सरकार

निगरानी विभाग

अधिसूचना

05/05/26

विषय :– बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों (पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक) को गृह विभाग / बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करते हुये बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित / निरसित करने के संबंध में।

राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि :–

(i) बिहार पुलिस अधिनियम–2007 के प्रावधान से संगति के लिए बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस उपाधीक्षकों को गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार पुलिस सेवा में उनके प्रथम योगदान की तिथि से समायोजित किया जाय। समायोजन के फलस्वरूप बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस उपाधीक्षकों की वरीयता का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग की संबंधित अनुशंसा (56–59वीं) में बिहार पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षकों के निम्नक्रम (अंतिम रैंक के बाद) से निर्धारित होगी। साथ ही बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस उपाधीक्षकों की सेवा इनके प्रथम योगदान की तिथि से ही बिहार पुलिस सेवा में लगातार समझी जाएगी।

(ii) बिहार पुलिस अधिनियम–2007 के प्रावधान से संगति के लिए बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस निरीक्षकों एवं पुलिस अवर निरीक्षकों (वर्ष 2014 एवं 2023 बैच) को गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार पुलिस में उनके समकक्ष सेवा में उनके प्रथम योगदान की तिथि से ही समायोजित किया जाय। समायोजन के फलस्वरूप बिहार निगरानी अन्वेषण

संवर्ग के पुलिस निरीक्षकों/पुलिस अवर निरीक्षकों की वरीयता का निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की संबंधित अनुशंसा (वर्ष 2014 एवं 2023 बैच) में बिहार पुलिस के पुलिस निरीक्षकों/पुलिस अवर निरीक्षकों के निम्नक्रम (अंतिम रैंक के बाद) से निर्धारित होगी। साथ ही बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस निरीक्षकों एवं पुलिस अवर निरीक्षकों की सेवा इनके प्रथम योगदान की तिथि से ही बिहार पुलिस के उनके समकक्ष सेवा में लगातार समझी जाएगी।

2. तदनुसार बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों (पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक) को गृह विभाग/बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करते हुये बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित/निरसित किया जाता है।

3. इस पर दिनांक 29.04.2026 की मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या–06 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

5/5/2026

(अरविन्द कुमार चौधरी)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 1/नि०वि०स्था०–08/2023......-2823**/पटना, दिनांक :–** 05/05/26
प्रतिलिपि : प्रभारी, गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

5/5/2026

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 1/नि०वि०स्था०–08/2023......-2823**/पटना, दिनांक :–** 05/05/26
प्रतिलिपि : महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/2026

अपर मुख्य सचिव

-2823

ज्ञापांक : 1/नि०वि०स्था०–08/2023.......-2823/पटना, दिनांक :–05/05/26

प्रतिलिपि :वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/2026

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 1/नि०वि०स्था०–08/2023.....-2823/पटना, दिनांक :–05/05/26

प्रतिलिपि : मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/2026

अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक : 1/नि०वि०स्था०–08/2023.......-2823/पटना, दिनांक :–05/05/26

प्रतिलिपि :महानिदेशक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना/पुलिस अपर महानिदेशक, विशेष निगरानी इकाई, पटना एवं अभियंता प्रमुख, तकनीकी परीक्षक कोषांग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/5/2026

अपर मुख्य सचिव